प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-I*** नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 14 के अंतर्गत संपादित सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर पी एस यूज) की व्यय लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस अध्याय में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/स्वायत निकायों के निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-II*** सरकार के राजस्व क्षेत्र विभागों की राजस्व प्राप्ति की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस क्षेत्र की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत संपादित की जाती है। यह अध्याय 31 मार्च 2014 को सामाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार की प्राप्तियों जैसे बिक्री/मूल्य वर्द्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहनों पर कर तथा अन्य कर और करेत्तर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-III*** सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत और सांविधिक नियमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित कानून के अंतर्गत सी ए जी के द्वारा सम्पादित की जाती है। सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(A) के अंतर्गत राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करना होता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रकरणों में, जो वर्ष 2013-14 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ साथ वैसे प्रकरण भी सम्मिलित है, जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये थे पर पूर्व के प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके, एवं वर्ष 2013-14 की अवधि के उपरान्त भी संज्ञान में आये प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।